(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.

Dated: 02-09-2014

NOTIFICATION

No. F. 8(34)/2014/DAM/MR/1886 – Whereas the draft of notification to cease the regulation of marketing of "Fruits" and "Vegetables" agricultural produce pertaining to such items under clauses 'VII. Fruits -' and 'XIV. Vegetables -'as shown in THE SCHEDULE to the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 by the three marketing committees namely APMC MNI Azadpur, APMC Keshopur and APMC Shahdara in their respective market areas in the National Capital Territory of Delhi was published as required by section 3 of the said Act in the Delhi Gazette Part-IV Extra-Ordinary, dated the 19th June, 2014 of Government of National Capital Territory of Delhi, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which copies of the Delhi Gazette, in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas the copies of the said notification were made available to the public on 20th June, 2014;

And, whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 4 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, and in supersession of notification nos. F.50(3)/77-DAM (i) dated 14.01.77, F.6(11)/78-DAM/7371-92 dated 21.11.78, F.8/4/83-DAM/MR (i) dated 01.12.92, F.8(2)/85-DAM/MR/Vol.II/420 dated 29.01.2001 and F.8/4/83-DAM/MR (iii) dated 01.12.1992 in so far as they relate to Fruits and Vegetables mentioned in the schedule to the above Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that regulation of marketing of fruits and vegetables mentioned above shall cease beyond the markets/market yards/sub-yards of the respective marketing committees namely APMC MNI Azadpur, APMC Keshopur and APMC Shahdara, with immediate effect, and henceforth market areas of these committees with respect to fruits and vegetables shall have the following boundaries:

1. APMC MNI Azadpur

(Market Yard) -

The place now occupied by NSM, Azadpur and new Fruit Market, Sarai Pipal Thala but excluding the abadi area of village Bharola and Sarai Pipal Thala and bounded by –

North-East	:	G.T. Karnal Road.
North-West	:	Rajasthan Udyog Boundary.
South-West	:	Railway Line.
South-East	:	Ring Road.

(i) (Sub-Yard)

New Railway Station, Azadpur (Fruit Siding) area bounded by the following:

North-East	:	Railway Line.
North-West	:	Road leading to Shalimar Village.
South-West	:	Eastern boundary of Shalimar Bagh.
South-East	:	North western boundary of Shalimar Bagh.

(ii) (Sub-Yard)

Fruit and Vegetables Market Okhla area bounded by the following:

North-East	:	Railway Line.
North-West	:	DTC Okhla Depot.
South-West	:	100' Wide Road leading to Modi Flour Mills.
South-East	:	Flatted factories complex.

(iii) (Sub-Yard)
Market at Mangolpuri:

East	:	Ordnance Depot Shakur Basti.
West	:	Mangolpuri Industrial Area, Phase-II.
North	:	Mangolpuri Industrial Area, Phase-II,
South	:	Delhi Rohtak Railway Line.

2. APMC, Keshopur

(Market Yard)

West	:	Outer Ring Road.
East	:	Drain (known as Subhash Nagar Drain).
North	:	Boundary Wall of DTC Depot at Keshopur and park/open space upto drain.
South	:	Boundary wall of vegetable market, Keshopur along Shahpura and Sant Garh (Major Bhupinder Singh Nagar) Residential Colonies.

3.APMC, Shahdara

(Market Yard)

North	:	Main G.T. Road, Shahdara.
South	:	A.G.C.R. Road, Shahdara.
East	:	Jhil Mil Colony, Kasturba Nagar, Shahdara
West	:	Jagat Puri, Main Road, Shahdara.

(Sub Yards)

(i) Shahdara Subzi Mandi (Sub-yard at Gazipur)

West	:	Village Boapur.
East	:	Village Gazipur
North	:	Gaushala.
South	:	Road NH-24.

(ii) Jheel Kuranja (Subzi Mandi) Sub-yard.

North	:	Jheel Krishan Nagar Road.
South	:	Geeta Colony, Main Road.
East	:	Main Patperganj Road,
West	:	Jheel Kuranja Bus stand

(iii) Shakar Pur Pusta (Subzi Mandi) Sub-yard.

West	:	Yamuna River.
East	:	Shakar Pur.
North	:	Vikas Marg.
South	:	Railway Line

However, there will be no change in the market area of APMC, Shahdara with respect to other notified commodities.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

02.9.14

(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8(34)/2014/DAM/MR/1887-1899 Dated: 02-09-2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
6. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
7. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
8. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi, Flower Marketing Committee, and Delhi Fodder Market Committee, Tikri Kalan, Delhi.
9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
12. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
13. Guard file.

02.9.14

(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
कृषि विपणन निदेशालय
(विकास विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5/9–अंडर हिल रोड, दिल्ली–54.

दिनांक :02.09.2014

अधिसूचना

सं०फा० 8(34)/2014/डीएएम/एमआर/1886 .– जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तीन विपणन समितियां अर्थात् कृषि उपज मंडी समिति राष्ट्रीय महत्व की मंडी आजादपुर, कृषि उपज मंडी समिति केशोपुर तथा कृषि उपज मंडी समिति शाहदरा के अपने–अपने मंडी क्षेत्रों में दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 की अनुसूची में दर्शाए खंड 'VII फल- ' और 'XIV सब्जियो-' के अन्तर्गत ऐसी मदों से संबंधित "फल" और "सब्जी" उपज के विपणन के विनियमन को समाप्त करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अधिसूचना का प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 3 की अपेक्षानुसार दिल्ली राजपत्र भाग–IV असाधारण में दिनांक 19 जून, 2014 को प्रकाशित करके, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध की गई थी उस तिथि से 45 दिन के भीतर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गये थे;

और, जबकि उक्त सूचना की प्रतियां जनता को 20 जून, 2014 को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियां तथा सुझाव पर सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया जा चुका है;

अतः अब दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14.1.77 की अधिसूचना संख्या फा0 50(3)/77–डीएएम(i), 21.11.78 संख्या फा0 6(11)/78–डीएएम/7371–92, दिनांक 01.12.92 सं०फा० 8/4/83–डीएएम/एमआर(i), दिनांक 29.1.2001 सं०फा० 8(2)/85–डीएएम/एमआर/पार्ट–2/420 और दिनांक 01.12.92 सं०फा० 8/4/83–डीएएम/एमआर(iii) का अधिक्रमण करते हुए जहां तक ये उक्त अधिनियम से संबंधित अनुसूची में फल व सब्जियों से संबंधित है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि उक्त उल्लिखित फल और सब्जियों के विपणन का विनियमन तत्काल संबंधित विपणन समितियों अर्थात् कृषि उपज मंडी समिति राष्ट्रीय महत्व की मंडी आजादपुर, कृषि उपज मंडी समिति केशोपुर तथा कृषि उपज मंडी समिति शाहदरा की मंडी/प्रमुख मंडी/सहायक मंडी के बाहर समाप्त हो जायेगा और तत्काल फल और सब्जी से संबंधित इन समितियों के मंडी क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित होगी:–

02.3.14

1. कृषि उपज मंडी समिति राष्ट्रीय महत्व की मंडी आजादपुर

(प्रमुख मंडी)

यह स्थान अब एनएसएम आजाद पुर तथा नयी फल मंडी सराय पीपल थला के कब्जे में है लेकिन इसमें गांव भारौला तथा सराय पीपल थला का आबादी क्षेत्र शामिल नहीं है, तथा इसकी सीमाएं निम्न प्रकार है :–

उत्तरपूर्व: जी. टी. करनाल रोड़

उत्तर पश्चिम: राजस्थान उद्योग की सीमा

दक्षिण पश्चिम: रेलवे लाईन

दक्षिण पूर्व : रिंग रोड़

(i) (सहायक मंडी)

नया रेलवे स्टेशन, आजाद पुर (फ्रूट साइडिंग)

इसकी सीमाएं निम्न प्रकार है :–

उत्तर पूर्व : रेलवे लाइन

उत्तर पश्चिम : शालीमार गांव को जाने वाली सड़क

दक्षिण पश्चिम : शालीमार बाग की पूर्वी सीमा

दक्षिण पूर्व : शालीमार बाग की उत्तरी पश्चिमी सीमा

(ii) (सहायक मंडी)

फल एवं सब्जी मंडी ओखला

इसकी सीमाएं निम्न प्रकार है

उत्तर पूर्व : रेलवे लाईन

उत्तर पश्चिम : दि. प. नि. ओखला डिपो

दक्षिण पश्चिम : मोदी फ्लौर को जाने वाला 100 फुट रोड़

दक्षिणी पूर्व : फलैटिड फैक्टरी परिसर

(iii) (सहायक मंडी)

मंगोल पुरी मार्किट

पूर्व : आयुद्ध भण्डार शकूर बस्ती

पश्चिम : मंगोल पुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस–2

उत्तर : मंगोल पुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस–2

दक्षिण : दिल्ली–रोहतक रेलवे लाईन

02.9.14

2. कृषि उपज मंडी समिति केशोपुर
(प्रमुख मंडी)
पश्चिम : बाहरी रिंग रोड़
पूर्व : नाला (इसका नाम सुभाष नगर ड्रेन है)
उत्तर : केशोपुर में डी.टी.सी. डिपो की चारदीवारी तथा ड्रेन तक पार्क/खुला स्थान तक
दक्षिण : केशोपुर सब्जी मंडी की चारदीवारी, शाहपुर तथा संत गढ़ के साथ–साथ (मेजर भूपिन्द्र सिंह नगर), आवासीया कॉलोनियां

3. कृषि उपज मंडी समिति शाहदरा
(प्रमुख मंडी)
उत्तर : मैन जी.टी.रोड़ शाहदरा
दक्षिण : ए.जी.सी.आर. रोड़, शाहदरा
पूर्व : झिलमिल कॉलोनी, कस्तूरबा नगर, शाहदरा
पश्चिम : जगत पुरी, मैन रोड़, शाहदरा

(सहायक मंडी)

(i) शाहदरा सब्जी मंडी (गाजीपुर में सहायक मंडी)
पूर्व : गांव बौआपुर
पश्चिम : गांव गाजीपुर
उत्तर : गऊशाला
दक्षिण : राष्ट्रीय राजमार्ग–24

(ii) झील कुरंजा (सब्जी मंडी) सहायक मंडी
उत्तर : झील कृष्णा नगर रोड़,
दक्षिण : गीता कॉलोनी, मैन रोड़
पूर्व : मैन पटपड़गंज रोड
पश्चिम : झिल कुरंजा बस स्टैंड

(iii) शकर पुर पुस्ता (सब्जी मंडी) सहायक मंडी
पश्चिम : यमुना नदी
पूर्व : शकर पुर
उत्तर : विकास मार्ग
दक्षिण : रेलवे लाईन

यद्यपि कृषि उपज मंडी समिति शाहदरा के अन्य अधिसूचित मदों के मंडी क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

2/9/14

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0फा0 8(34)/2014/डीएएम/एमआर/1887–1899 दिनांक :02.09.2014

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

4 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

5 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

6 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।

7 उप–सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

8 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राश्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, के ोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।

9 उप–सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

10 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

11 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

12 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

13 गार्ड फाईल।

02.9.14

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार